न्यायालय– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या–11, जौनपुर।

दाण्डिक प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र संख्या–**930/ 2022**

C.N.R. N0.UPJP-040-23126-2020

मैकू ––– प्रति–––संजय

दिनॉक–29.09.2022

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा–156(3) दं0प्र0सं0 प्रस्तुत करके विपक्षी के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना कराये जाने की प्रार्थना की गयी है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में यह कथन किया गया है घटना दिनांक 18.08.2022 सायं 5 बजकर 30 मिनट के आस पास की घटना है कि प्रार्थिनी अपने कमरे में अपने तीन साल के बच्चे के साथ सोई थी घर पर कोई नही था। इतने में संजय श्रीवास्तव पुत्र स्व० रामप्रसाद श्रीवास्तव मेरे कमरे में घुस कर जबरदस्ती मेरे साथ बलात्कार करने लगे। मेरी आँख खुल गयी। मै चिल्लाना चाही तो मुँह दबाने लगे। मै उनके हाथ में काट ली और मै तेज तेज चिल्लाने लगी मेरा बच्चा रोने लगा। शोर पर संजय बोले चिल्लाओ मत और मुझे रूपये दिखाने लगे। हम प्रार्थिनी जब घर से भागना चाही तो मुझे धक्का देकर गिरा दिये और भाग गये। मै अपने पति को फोन कर घटना की बात फोन पर ही बताई और मैने कहा कि आओ चलो थाना पर रपट लिखाऊगी। कई बार मेरे साथ बलात्कार कर चुके है और मेरी तो इज्जत ही ले लिये। मै अपनी फोन रखकर तैयार होने लगी कि तब तक दुबारा संजय मुझे गाली देते हुए चढं आये कि आज पहले अच्छी तरह से साली माधरचोद से इच्छा पूरी कर लूंगा तब जेल जाऊगां और पुनः आकर फिर मुझे पटक कर बलात्कार करने की कोशिश किये मै उन्हे ग्लास से मारी और उनको चोटे भी आयी। इतने में मेरे पति भी आ गये थे और घटना का वीडियों भी बनाये और हमको थाना कोतवाली लेकर जाने लगे तो संजय ने गाली देते हुए कहा कि मैने थाने पर दो लाख दिया है जाओ थाने वाले कुछ नही करेंगे जब हम लोग थाने पर गये तो वहां थाना चौकी इन्चार्ज साहब मार पीट दिखा रहे है। और बलात्कार वाली बात नही लिखे। बोले कि पहले जो घटना घटी थी दिनांक 01.08.2022 को उसी समय 376 बढ़ा देगे आज मार पीट वाली ही घटना दिखाओ नही तो सब झूठा हो जायेगा। जबकि हमने अपना वीडियों भी दिखाया जो संजय ने मेरे साथ किया था। मार पीट व छेड़खानी 6 बजे शाम को हुई और मार पीट के आधे घण्टे पहले बलात्कार संजय द्वारा किया गया था जिसकी सूचना प्रार्थिनी थाना कोतवाली पर दिया लेकिन वहां से कोई कार्यवाही नही हुई।

पुलिस आख्या के अनुसार जाँच कि गयी तो ज्ञात हुआ कि दिनांक 18.08.2022 को समय शाम छः बजे घटित घटना के सम्बन्ध में आवेदिका मैकू द्वारा दिनांक 18.08.2022 को ही थाना स्थानीय पर एनसीआर नम्बर 45/2022 धारा 323 504 भा0.द0सं0 बनाम संजय कुमार पुत्र स्व० रामप्रसाद श्रीवास्तव निवासी नखास थाना कोतवाली जनपद जौनपुर पंजीकृत कराया गया है। विपक्षी संजय कुमार श्रीवास्तव उपरोक्त द्वारा भी थाना स्थानीय पर एनसीआर नम्बर 46/ 2022 धारा 323 504 भादवि घटना दिनांक 18.08.2022 समय 5.30 बजे के सम्बन्ध में आवेदिका मैकू उपरोक्त एवंम् उनके पति अरूण कुमार श्रीवास्तव उर्फ डब्बू के विरूद्ध पंजीकृत कराया गया है। आवेदिका मैकू उपरोक्त द्वारा एनसीआर संख्या 45/2022 पजीकृत कराया जाना छिपाते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 156–3 सीआरपीसी उपरोक्त के प्रस्तर 04 मैं अंकित किया गया है कि प्रार्थिनी थाा कोतवाली पर सूचना दिया लेकिन कोई कार्यवाही नही हुई जब कि एनसीआर संख्या 45/2022 पंजीकृत है। आवेदिका द्वारा वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुए काल्पनिक तथ्यों को दर्शाते हुए प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया है। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर कोई अभियोग पंजीकृत नही है।

पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया।

प्रार्थनापत्र धारा 156 (3) के अवलोकन से विदित है कि प्रार्थी ने विपक्षी पर आरोप लगाया है कि विपक्षी प्रार्थिनी के घर मे घुसकर उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश किये तथा मारपीट कर चोटे पहुचायी । थाने की आख्या के अनुसार दिनांक 18.08.2022 को समय

शाम छः बजे घटित घटना के सम्बन्ध में आवेदिका मैकू द्वारा दिनांक 18.08.2022 को ही थाना स्थानीय पर एनसीआर नम्बर 45/2022 धारा 323 504 भा0.द0सं0 बनाम संजय कुमार पुत्र स्व० रामप्रसाद श्रीवास्तव निवासी नखास थाना कोतवाली जनपद जौनपुर पंजीकृत कराया गया है। विपक्षी संजय कुमार श्रीवास्तव उपरोक्त द्वारा भी थाना स्थानीय पर एनसीआर नम्बर 46/ 2022 धारा 323 504 भादवि घटना दिनांक 18.08.2022 समय 5.30 बजे के सम्बन्ध में आवेदिका मैकू उपरोक्त एवंम् उनके पति अरूण कुमार श्रीवास्तव उर्फ डब्बू के विरूद्ध पंजीकृत कराया गया है। थाने की आख्या व प्रार्थनापत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थिनी द्वारा प्रार्थनापत्र मे किया गया कथन रंजिशन एंव मनगढन्त है। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय **प्रियंका श्रीवास्तव बनाम राज्य 2015 (6) एस सी सी 287** में यह मत व्यक्त किया गया है कि धारा–156(3) दं0प्र0सं0 के प्रार्थना पत्र में संज्ञेय अपराध से सम्बन्धित तथ्यों का उल्लेख मात्र कर दिये जाने से मजिस्ट्रेट के लिए प्रत्येक मामले में प्रथमसूचना रिपोर्ट दर्ज कराया जाना बाध्यकारी नहीं है। मामले के तथ्य एंव परिस्थियों मे प्रकरण मे अभियोग पंजीकृत कर विवेचना कराये जाने का आधार पर्याप्त नही है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थिनी की तरफ से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा–**156 (3) दण्ड प्रकिया संहिता निरस्त** किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

सी0 जे0 एम0
जौनपुर।